



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



BG 066897

६३६४०३३५३५-

६३६४०३३५३५

मुक्तिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के निहाई -
 लेशन की प्रकृति लीज डीड अधिधि २६ वर्ष ११ माह २६ दिनेकेलिस् -
 भोजा ओजीपुर परगना व लखीमपुर खीरी जिला जनपद मंडल -
 आराजी नम्बर १३ रकबा ०.६५४ हे० में से ०.२१५ हे० जिलेमें -
 १३०५ वर्ग मी० में १५ कभरा बना हुआ है जिसकी किराया धनराशि -
 १५००/- रु. प्रति माह सरकारी मालियत १००००/- रु. व -
 जम्मा २१६०/- रु. -
 कि रामसोय पुत्र स्व० शिवपूजन प्रबन्धक जायज जगदेवदास
 शिक्षण सेवा संस्थान मन्त्री इन्डि (ओजीपुर) परगना व -

2640

रामसोय

रामसोय





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 066898

लखनऊ घोसी जनपद मंडल द्वारा संस्थापित बाबा जगदेव दास मों-
 अमरावती शिवपूजन मठ विद्यालय पक्की लाल (ओजीपुर) -
 घोसी जनपद मंडल कुं प्र० प्रथम पक्ष (लीज डीड दाता) -
 व बाबा जगदेव दास शिक्षण सेवा संस्थान पक्की खुर्द -
 (ओजीपुर) घोसी मंडल प्रधानव्यव. राम सोध पुत्र स्व० शिवपूजन -
 ग्राम व पोस्ट पक्की भुजुग परगना व लखनऊ घोसी -
 जनपद मंडल द्वितीय पक्ष (लीज डीड ग्रहिला) -
 यूँ हम मुक्ति प्रथम पक्ष आरति कर्मक्षेत्र लाल व भूमिपर -
 भाषिक व लखनऊ यूँ हम मुक्ति स्थित बाबा मोंजा -
 ओजीपुर परगना व लखनऊ घोसी जनपद मंडल व आरति -
 नम्बर १३ रफ्तवा ०. ६५४ हे० में से ०.००१५ हे० द्वितीय पक्ष ने -
 उक्त संपत्ति २६ वर्ष ११ माह २६ दिन अवधि के लिए -

रामसाय



रामसाय





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 649782

बिद्यालय संचालन हेतु १५००/- रु. प्रति माह किराये पर लिखा है -
 साक्षरपत्र से सम्बन्धित किरायेदारों को शर्तों का पट्टा को अर्बिधि -
 को सम्बन्ध में किसी प्रकार को कोई प्रकार को गलतफहमी उभय-
 पक्ष को सम्बन्ध भ्रम ना पैदा होवे -

- 1- यह कि प्रथम पक्ष ने उक्त साक्षरपत्र आज दिनांक ४-०७-२०२२ ई-
 से बर्लौह किरायेदार को भर्बिधि २६ वर्ष ११ माह २६ दिन के लिए -
 द्वितीय पक्ष को अध्यासित करा दिया है उक्त पट्टा दिनांक-०१-०४-२०२०-
 से शुरू हो यह दिनांक- ३०-०३-२०२० ई को समाप्त होगा -
- 2- यह कि प्रथम पक्ष को किराये वाली साक्षरपत्र का किराया प्रोलेभाह
 को हिसाब से द्वितीय पक्ष अदा करला रहेगा और उसको रक्षीद
 या किराया अदायगी का अन्य सबूत कोसिले करला रहेगा -

रामलाल



रामलाल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 649783

बिना किराया को शरीद या अम्पलिक्लिड सबूत के किराया अदापगी -
मान्य नहीं होगी /

3- यह कि द्वितीय पक्ष को किराया वाले भाग को किरायेदार शिहर-
अग्रेजी माह को 9 कारिख से शुरू हो कर उसी माह के 10-

30 अंतिम कारिख को समाप्त होगा - -

4 यह कि पहला को कबकि के अन्तर द्वितीय पक्ष को कविष्कार्ट व-
रेगा कि यह उक्त सम्पत्ति पर अलौर किरायेदार अधिसित -
रुब्बर लखरीक पहला ग्रीटिला संघ उसब्ब उपयोग व उपभोग
करेगा - -

5 यह कि द्वितीय पक्ष किराया वाले भाग में अपने खर्च से सलाम
रंगई व सफाई व मरमत्त करेगा और उक्त भाग को -

रामसाय

रामसाय





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

41AA 369752

रुमना भैरव देवता —

६- यह कि विरोधकारी कोले भाग में द्वितीय पक्ष निर्मित सौचालय पानी व बिजली का शुल्क विरोधकारी को अलावा रुंधंय धरन करेगा —

७- यह कि द्वितीय पक्ष २६ वर्ष ११ माह २६ दिन बाद विरोधकारी कोले भाग को खाली कर देगे और द्वितीय पक्ष का अधिकार बर्तौर कीज स्वतः सम्भाषत हो जायेगा तथा द्वितीय पक्ष जायदाद उपरोक्त पर-
 कालता ६२वत प्रथम पक्ष को कर देगे —

८- यह कि प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष दोनों आपसी सहमती से इस लिज को १००/- रु. के रुहाय्य पर करी भी संशोधन या रम्भाषत कर सकते है —

९- यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि पर उपलब्ध भवन का अध्या-

रामनाथ

रामनाथ



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

41AA 369753

निम्नलिखित धरा धर शोश्र्णिक संस्थान- आदि सम्बन्धित संस्थाओं से
 मान्यता अनुमोदन - सम्बन्धिता-पंजीकरण / लाइसेंस प्राप्त कर
 संचालन धर संकेत इतथाकेत प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को-
 धर लीज डीड अपनी राजी खुदके सही होश हवास में खुदसोच
 सम्बन्धित पक्ष सुम्पण धरन्वहि तहशिर धर निपा कि सन्दरहे -
 ओइ सम्प पर धरने शोवे / ८१५० धरग मीठ होल है -

नोट पत्र २ के सगर ४ में सम्बन्ध करण है-



मन्मोज कुमारी

रामलाल

मन्मोज कुमारी 510 लाला
 ग्रां पकडी कुजुर्ग
 हा धराली भक्त
 9260 923840



धरमगि पाके 510
 हा धराली भक्त
 713-2
 मोंनो-9979795642

रामलाल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

41AA 369754

जिल्हा - पॉस्ट्री प्रखर खेत उमिल्ला वा पॉस्ट्री-पम खेत विन्ध्याचल कोट
 वा उत्तर खेत राधे कोट वा दक्षिण पण्डरोड 2 मी० पॉस्ट्री-
 नोटरी 9 के सलत वा 5 पूरी लाईन कोट वा पली 2 के सलत
 9 जे लखीला वासी जनपद मऊ द्वारा संचालित कोट है -
 लेखक सुरेश कुमार वा. नं. 018 कोट पोस्टी जनपद मऊ

उजस्ता 2001 - छापा तार - 58-06-2022 ई.

ले० सुरेश कुमार व० न०, तह० पोसी
 जनपद मऊ, सा० नं० 91
 फव से 29 तक उजस्त 2001 -
 लेखक सुरेश कुमार, दिनांक 58-06-2022 ई.

रामसाय



रामसाय

